न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2022	2022/62	17.02.2022	07.02.2023

उनवान

1. रतन सिंह पुत्र हट्टीराम जाति जाटव निवासी शास्त्री नगर, दाउदपुर अलवर हाल निवासी ग्राम मानोता खुर्द तहसील नगर जिला भरतपुर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अवलर का निर्णय दिनांक 20.07.1994 नामान्तकरण संख्या 95 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील व जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री रामावतार वर्मा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 20.07.1994 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 95 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील व जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 246 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 208 रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम दाउदपुर का 20/112 हिस्सा यानि 1 बीघा रकबा का बेचान श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी भौतीलाल जाट निवासी जाट बहरोड़ हाल लखण्डा वाला कुआं अलवर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.06.1994 के अपीलांट व अन्य क्रेताओं के हक में इकजाई रूप से बय किया गया। उक्त बयनामा में अपीलांट का नाम रतन सिंह पुत्र हट्टीराम जाति जाटव है। बयनामा के विरूद्ध रैस्पो0 द्वारा बयनामा के आधार पर मंजूर व तस्दीक किये गये इंतकाल सं0 95 में अपीलांट का नाम रतन सिंह के स्थान पर नौरतन सिंह दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर सेटलमेंट विभाग द्वारा सम्वत 2051 में भी जो बंदोबस्त कायम किया गया, में भी नौरतन सिंह दर्ज कर दिया। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड इत्यादि में भी नाम कागलत इन्द्राज कर दिया। उक्त इन्द्राज की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। अपीलांट जब पट्टा इत्यादि प्राप्त करने हेतु नगर विकास न्यास अलवर में पत्रावली पेश करने के लिए राजस्व अभिलेख की नकल दिनांक 11.02.2022 को प्राप्त की तो जानकारी में आया कि अपीलांट का नाम बयनामा के विरूद्ध दर्ज कर दिया गया। इसके बाद अपीलांट ने तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 20.07.1994 से व्यथित होकर व कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी के अन्दर मियाद अपील पेश की है। फिर भी जो समय दिनांक 20.07.1994 से आज दिन तक का व्यतीत हुआ है। वह काबिले कंडोन है। पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करते वक्त अपीलांट को बिना सुने व मौका दिये आदेश दिये गये है। जबकि अपीलांटा का अन्य सरकारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन

जिला कलक्टर, अलवर

कार्ड तथा जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र व वयनामा दिनांक 23.06.1994 में नाम रतन सिंह दर्ज है। इसलिए अपीलांट का नाम काविले दुरूस्ती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.1994 इंतकाल सं0 95 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील अलवर को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम नौरतन सिंह के स्थान पर मुताविक वयनामा रतन सिंह दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.1994 के विरूद्ध दिनांक 16.02.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 28 वर्ष वाद पेश की गयी है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्धेनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व बयनामा दिनांक 23.06.1994 की फोटोप्रतियां पेश की गयी है। उक्त दस्तावेजात् में अपीलांट का नाम रतन सिंह अंकित है। इंतकाल के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित इंतकाल सं0 95 में अपीलांट का नाम नौरतन सिंह दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल दर्ज व तस्दीक करते वक्त अपीलांट के दस्तावेजात व बयनामा दिनांक 23.06.1994 का परीक्षण नहीं किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीनदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)